न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी खोरीमहुआ (गिरिडीह)

वाद सं० 56/2017

बंगाली राम - बनाम शंकर राम वगैरह

धारा 144 दं०प्र० सं०

आदेश फलक

12-8-17 अभिलेख उपस्थापित। थाना प्रभारी देवरी से प्राप्त प्रतिवेदन पर सुनवाई करते हुए शांति-व्यवस्था भंग होने की संभावना को देखते हुए प्रश्नगत भूमि पर दं० प्र० सं० की धारा 144 के तहत उभय पक्षों के लिए निषेधाज्ञा लगायी गयी। तथा कारण-पृच्छा की मांग की गयी।

विवादित भूमि निम्न है। —

मौजा	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकबा
सिकरुडीह	01	410	20 डी० के मध्ये 10 डी०

चौहद्दी :— उ० - देगाडीह जाने वाली पक्की सड़क। द० - वंशी राम का मकान। पू० - कन्हैया राम एवं मानिक राम का मकान, प० - कमेटि हॉल

प्रथम पक्ष के ओर से कारण-पृच्छा दाखिल किया गया, जिसमें उनका कथन लिखित बहस में अंकित है।

द्वितीय पक्ष के ओर से कारण-पृच्छा दाखिल नही किया गया।

यह वाद काल बाधित हो चुकी है इसलिए वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित

अनु० लि० [signature]

[signature] 12/8/17
अनुमण्डल दण्डाधिकारी
खोरीमहुआ।